न्यायालय सिविल जज (एस0डी0), रूड़की, जिला हरिद्वार।

मूल वाद संख्या–245 / 2022

श्रीमती शमा प्रवीन बनाम नफीस अहमद आदि

दिनांक 03.05.2024–

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। वादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार काम्बोज एवं प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार न्यायालय में उपस्थित। पक्षकारों को पूर्व में प्रार्थना पत्र संख्या 6ग2 एवं आपत्ति संख्या 41ग2 पर सुना जा चुका है। पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण वादी का प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आपत्ति कागज संख्या 41ग2

वादिनी द्वारा प्रार्थना संख्या 6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी एक वेबा औरत है। नाबालिग बच्चा अरहम उम्र 5 साल के साथ अपने मकान में रह रही है, जो उसके अपने नाम है। प्रतिवादीगण गुण्डागर्दी के बल पर वादिनी की तन्हाई का फायदा उठाकर उसके मकान पर कब्जा कर विक्रय करने की फिराक में लगे हुए हैं। यदि ऐसा हो गया तो वाद दायर करने की मंशा ही फोत हो जायेगी। नफीस, वादिनी का ससुर है, बानो सास है और नसीम जेठ है। आसमा वादिनी की जेठानी है, असलम देवर है और साजिदा देवरानी है, जो ग्राम माण्डला में रहते है, सभी के मकान अलग अलग हैं। वादिनी का पति भी ग्राम माण्डला में ही रहता था। वादिनी से शादी के बाद वह वादिनी को लेकर मंगलौर आ गया था। वादिनी का पति ठेकेदारी का कार्य करता था और अच्छा कारोबार था। वादिनी के पति वसीम अहमद दिनांक 05.09.2020 को मंगलौर में एक प्लाट का बैनामा दस्तोवज संख्या 3731 / 1, को मु0 3,00,000 / –रूपये में क्रय कया था। वादिनी के पति ने अपने खून पसीने की कमाई से उक्त प्लाट क्रय किया था, का दाखिल खारिज रेवन्यू रिकार्ड में उसके नाम हो गया था। वादिनी के पति का अचानक दिनांक 14.10.2021 को स्वर्गवास हो गया। वादिनी के पति के स्वर्गवास के बाद तथाकथित मानि नगर पालिका परिषद् मंगलौर में वादिनी के नाम आ गया। वादिनी के मरहूम पति वसीम अहमद के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मो0 अरहम है, जो पांच साल का है, वादिनी के साथ उसी के मकान में रहता है। प्रतिवादी के द्वारा वादिनी की तन्हाई का फायदा उठाकर 10.07.2022 को दोपहर करीब 01:00 बजे वादिनी के उक्त मकान में घुसकर उसका सामान बाहर फेंक कर कब्जा करने लगे मुर्सलीन, रईस, इलियास, सौराब मौके पर आ गये, जिन्होंने

समझाया। अतः वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर विक्रय करने से निषेधित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति कागज संख्या 41ग2 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अभिवचनों से इंकार कर कथन किया गया है कि वादिनी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर कभी कोई कब्जा ना था और ना है तथा वास्तविक कब्जे के अभाव में वादिनी अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिनी का कोई प्रथम दृष्टया वाद नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी वादिनी के पक्ष में नहीं है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा के निरस्त किये जाने से वादिनी को कोई हानि नहीं होगी जबकि इसके विपरीत वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने से प्रतिवादीगण की सख्त हकतलफी हो जायेगी, जिस कारण से वादिनी अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के सगे पुत्र वसीयम अहमद का निकाह वादिनी के साथ में दिनांक 18.11.2015 को बिना किसी दान दहेज के सम्पन्न हुआ था। कुछ समय तक वादिनी, प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र के साथ में कुछ समय तक ठीक रही, परन्तु कुछ समय पश्चात् वादिनी का व्यवहार प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पुत्र वसीम अहमद के साथ करतापूर्ण हो गया। वादिनी बहुत थोड़े समय के लिए अपने ससुराल रही। वादिनी काफी समय तक अपने मायके में ही निवास करती चली आ रही थी। वादिनी माह सितम्बर 2021 को प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र के साथ लड़कर अपने मायके चली गई। प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र ने वादिनी को लाने का भरसक प्रयास किया, किन्तु वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र के साथ में नहीं रही। दिनांक 14.10.2021 का वाका है प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र वादिनी को लेने उसके मायके गया हुआ था तभी वादिनी व उसके परिवार वालों ने प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र के साथ गाली गलौच, मारपीट की व धक्के देकर घर से निकाल दिया। प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र निराश होकर अपने घर वापस आया और उक्त सारा वाका अपने घरवालों को बताया और चुपचाप फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने मौहल्ले व रिश्तेदारों के कहने में आकर वादिनी व उसके परिवार वालों के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की थी। प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र ने प्रतिवादी संख्या 1 के सहयोग से एक सम्पत्ति कस्बा मंगलौर में खरीद की थी, जिसमें सारा पैसा प्रतिवादी संख्या 1 का लगा था। प्रतिवादी संख्या 1 ने स्थित कस्बा मंगलौर में सम्पत्ति के बैनामे को अपने पुत्र वसीम अहमद के नाम करार दिया था और उसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पैसों से मकान आदि भी निर्मित करा दिया था। वादिनी ने वादग्रस्त सम्पत्ति को हड़प करने, विक्रय आदि कर खुर्दबुर्द करने की नीयत से

प्रतिवादीगण को सूचना दिये बिना रैवन्यू रिकार्ड में बाला ए बाला तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया था, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 ने वादिनी के विरूद्ध मूल वाद संख्या 144/2022 श्रीमती बानो बनाम श्रीमती शमा प्रवीन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया हुआ है, जो विचाराधीन है। वादिनी ने प्रतिवादीगण पर झूठे आरोप लगाये हैं। दिनांक 10.07.2022 को दोपहर एक बजे समस्त प्रतिवादीगण अपने गांव मांडला जिला मुजफफरनगर में अपने खेतों पर काम कर रहे थे। प्रश्नगत सम्पत्ति की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 ने दारूलुम देवबन्द से एक फतवा दिनांक 13.12.2022 को जारी कराया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 भाग है तथा प्रतिवादिनी संख्या 1 का भी हक व हिस्सा निहित है। प्रश्नगत सम्पत्ति में वादिनी का 1/6 भाग है। वादिनी प्रश्नगत सम्पत्ति की तन्हा मालिक व काबिज नहीं है। उपरोक्त कारणों से वादिनी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

वादिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची दस्तावेज संख्या 9ग1 से विक्रय पत्र दिनांकित 05.09.2020 की छायाप्रति कागज संख्या 10ग1/1 ता 10ग1/7, जोत चकबंदी आकार पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 11ग1/1 ता 11ग1/3, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 12ग1, भुगतान रसीद की छायाप्रति कागज संख्या 13ग1, अरहम के आधार कार्ड की छाया प्रति कागज संख्या 14ग1, फोटोग्राफस कागज संख्या 15ग1 ता 16ग1/5, वसीम अहमद के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 17ग1/1, शमा प्रवीन के आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 17ग1/2 एवं थानाध्यक्ष, मंगलौर को प्रेषित पत्र कागज संख्या 18ग प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रतिवादीगण की ओर अपनी आपत्ति के समर्थन में कोई दस्तावेज पत्रावली पर दाखिल नहीं किये गये हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक हैं–

(1) प्रथम दृष्टया मामला,

(2) अपूर्णीय क्षति,

(3) सुविधा का सन्तुलन।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जहां तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में वादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र संख्या 6ग2 तथा वादपत्र संख्या 4क में मुख्य रूप से इस आशय का

कथन प्रस्तुत किया गया है कि वादिनी का विवाह वसीम अहमद से हुआ था, जिसके उपरान्त वादिनी तथा उनके पति ग्राम मण्डला से मंगलौर आ गये थे। जहां उनके पति ठेकेदारी का कार्य करते थे। वादिनी के पति के द्वारा दिनांक 05.09.2020 को मंगलौर में अपने स्वअर्जित धन से एक प्लाट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से मु0 3,00,000/—रूपये में क्रय किया गया था, जिसके उपरान्त रेवेन्यू रिकार्ड में वादिनी के पति का नाम उक्त सम्पत्ति की बाबत दर्ज हो गया था। वादिनी के पति ने उक्त प्लाट पर एक मकान भी निर्मित किया। वादिनी के पति का अचानक दिनांक 14.10.2021 को देहान्त हो गया था, जिसके उपरान्त वादिनी का नाम उक्त मकान के गृहकर एसेसेमेंट में वादिनी का ही नाम नगर पालिका परिषद् के रिकॉर्डों में अंकित हो गया था। वादिनी तथा उनके पति वसीम अहमद का एक पुत्र मौ0 अरहम का जन्म हुआ था तथा वादिनी प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपने पुत्र के साथ काबिज चली आती है। किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को जबरन उक्त सम्पत्ति से बिना किसी अधिकार के बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की याचना की गई। वादिनी के उक्त कथनों के समर्थन में वादिनी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का बैनामा दिनांकित 05.09.2020 की छायाप्रति कागज संख्या 10ग1/1 ता 10ग1/12, आकार पत्र 23 कागज संख्या 11ग1/2 की फोटोप्रति को दाखिल किया गया है, जिसमें चक संख्या 28 में मृतक वशिम अहमद पुत्र नफीस अहमद के स्थान पर उनके वारिस के रूप में उनकी पत्नी शमा प्रवीन व पुत्र अरहम का नाम अंकित किया जाना दर्शित है तथा इसके साथ ही वादिनी के द्वारा नगर पालिका परिषद् मंगलौर में जमा किये गये गृहकर की रसीद फोटोप्रति कागज संख्या 13ग1 को भी पेश किया है, जिसमें वादिनी शमा प्रवीन का नाम लिखा होना प्रथम दृष्टया दर्शित हो रहा है। इसके अतिरिक्त वादिनी के द्वारा अपने पति वसीम अहमद के मृत्यु के प्रमाण स्वरूप उनकी मृत्यु के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति कागज संख्या 12ग1/1 को भी संलग्न किया है, जिसके अनुसार श्री वसीम अहमद की मृत्यु दिनांक 14.10.2021 को होनी अंकित है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी आपत्ति कागज संख्या 41सी2 तथा अपने उत्तरपत्र कागज संख्या 39ए में इस आशय का कथन प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति में वादिनी का कोई कब्जा ना था और ना है तथा प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादिनी के साथ साथ प्रतिवादीगण का भी हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वसीम अहमद ने प्रतिवादी संख्या 1 के सहयोग से प्रश्नगत सम्पत्ति क्रय की थी, जिसमें सारा पैसा प्रतिवादी संख्या 1 का ही लगा हुआ था, जिसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ने ही अपने पैसों से उक्त भूमि पर अपने पुत्र वसीम अहमद के लिए मकान भी निर्मित करा दिया था, किन्तु वादिनी द्वारा

अपने पति की मृत्यु उपरान्त प्रश्नगत सम्पत्ति को हड़प करने के आशय से उक्त सम्पत्ति के रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम गलत तरीके से दर्ज करा लिया तथा उक्त सम्पत्ति को हड़पने के आशय से ही प्रतिवादीगण पर गलत आरोप लगाये गये जबकि प्रतिवादीगणों के द्वारा वादिनी को प्रश्नगत सम्पत्ति से निकाले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मुस्लिम विधि के अनुसार उक्त सम्पत्ति में वादिनी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादिनी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी हिस्सा है तथा वादिनी प्रश्नगत सम्पत्ति की तन्हा मालिक व काबिज नहीं है।

उल्लेखनीय है कि वादिनी के द्वारा अभिकथित किया गया है कि उनके पति वसीम अहमद के द्वारा अपने जीवनकाल में स्वयं प्रश्नगत सम्पत्ति/प्लाट खरीदा गया। वादिनी के अनुसार वर्तमान में उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति पर बने मकान में वादिनी तथा उनका पुत्र मौ0 अरहम निवास कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति में वादिनी का कब्जा होने से इंकार करते हुए बताया गया है कि वादिनी थोड़े ही समय बाद अपने ससुराल से मायके चली गई थी तथा भरसक प्रयासों के बाद भी वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र के साथ नहीं रही। प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति में मुस्लिम विधि के आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपना हिस्सा होना बताया गया है तथा इसकी बाबत यह भी कथन प्रस्तुत किया है कि वादिनी के पति के द्वारा क्रय किये गये प्लाट में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सारा पैसा लगाया था तथा प्रतिवादी संख्या 1 के ही द्वारा उक्त प्लाट पर अपने पुत्र के लिए मकान निर्मित कराया गया है। यद्यपि उक्त बैनामा दिनांकित 05.09.2020 में श्री वसीम अहमद का नाम तथा आकार पत्र 23 में वादिनी तथा उनके पुत्र मौ0 अरहम का नाम अंकित होने का विवरण मौजूद है, किन्तु उक्त दोनों ही दस्तावेज फोटोप्रति हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के प्लाट को क्रय करने हेतु दोनों ही पक्षों द्वारा प्रतिकर अदा करने के सम्बन्ध में वाद के इस स्तर पर कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले में प्रथम दृष्टया मामला एकल रूप से वादिनी के ही पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में वादिनी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपना कब्जा बताया गया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादिनी के वास्तविक कब्जा होने तथा एकल अधिकार होने से इंकार करते हुए उक्त सम्पत्ति में अपना भी हक व हिस्सा मुस्लिम विधि के अधीन होना बताया है। ऐसी

स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी केवल वादी अथवा प्रतिवादीगण के पक्ष में नहीं माना जा सकता है। न्यायालय के मत में प्रश्नगत सम्पत्ति की दौराने वाद सुरक्षार्थ एवं संरक्षणार्थ तथा वाद में संभावित रूप से उत्पन्न होने वाली अग्रिम जटिलताओं से बचने के लिए न्यायालय के मत में प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई अग्रिम आदेश होने तक उक्त सम्पत्ति पर वादिनी एवं प्रतिवादीगण द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना न्योयोचित दर्शित होता है। तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

—: आदेश :—

वादिनी का प्रार्थना पत्र संख्या 6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आदेश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के बाबत वादिनी एवं प्रतिवादीगण दौराने वाद अथवा इस सम्बन्ध में द्वारा अग्रिम आदेश पारित करने तक यथास्थिति कायम रखेंगे।

प्रश्नगत सम्पत्ति की बाबत इस वाद के पक्षकार अर्थात् वादिनी एवं प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे दौराने वाद प्रश्नगत सम्पत्ति पर अग्रिम रूप से किसी तृतीय पक्ष का कोई हित सृजित नहीं करेंगे। उक्त यथास्थिति का आदेश वाद के पक्षकारों पर ही लागू रहेगा। तद्नुसार आपत्ति कागज संख्या 41ग2 निस्तारित की जाती हैं।

पत्रावली वास्ते विरचन वाद बिन्दू दिनांक 29.07.2024 को पेश हो।

(रीतिका सेमवाल)
सिविल जज (एस0डी0),रूड़की,
जिला हरिद्वार।